FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0259 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/09/2026 18:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/09/2026 **Date To (दिनांक तक):** 07/09/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/09/2026 **Time (समय):** 00:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/09/2026 18:06:26 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARAYALAY SAHAYAK ABHIYANTA /VITARAN, JODHPUR DISCOM,SURATGARH,, JILA SHRIGANGANAGAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUSHIL BANSAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHANKAR BANSAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1979 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	24, MADAL COLONY, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	24, MADAL COLONY, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUDHIR KUMAR CHLANA		पिता:AMARNATH CHLANA	1. E-4,BASANT VIHAR COLONY,SURATGARH,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,श्रीगंगानगर। विषयः- श्री सुधीर सीसी बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै सुशील बंसल पुत्र श्री शंकर बंसल जाति अग्रवाल उम्र 47 साल निवासी म.न. 24-मॉडल कॉलोनी श्रीगंगानगर का रहने वाला हूँ। हमारी फर्म अंकुर एन्टरप्राईजेज, 25 न्यू मार्केट, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर है, जो सॉलर का कार्य करती है। इस फर्म में मै प्रोपराई हूँ। हमारी फर्म द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओ के सॉलर सिस्टम लगवाया जाता है, इस हेतु हमारी फर्म द्वारा उपभोक्ता की पत्रावली तैयार करने से लेकर विद्युत विभाग से स्वीकृति एवं अन्य प्रक्रिया पूर्ण करवायी जाती है। इस कार्य हेतु हमारी फर्म पर श्री रवि गोस्वामी पुत्र श्री कालुराम जाति गोस्वामी उम्र 39 साल निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर को नियुक्त किया हुआ है। श्री रवि गोस्वामी द्वारा मेरी फर्म की तरफ से सॉलर की तीन पत्रावलिया 1. अमित पारीक निवासी वार्ड न. 16 कुटिया के पास सूरतगढ 2. रिंकू अग्रवाल पत्नी संजय अग्रवाल निवासी हाउसिंग बोर्ड सूरतगढ 3. भारती निवासी बी-50 आशियाना कॉलोनी सूरतगढ तथा सॉलर मीटर सहित दिनांक 24.07.26 को कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम सूरतगढ में कार्यरत श्री सुधीर सीसी बाबू को सॉलर स्वीकृति एवं मीटर टेस्टींग के लिये जमा करवायी गई थी। इन पत्रावलियो में एस.सी.ओ.(सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) जारी नही होने पर रवि गोस्वामी को 5-7 दिन पहले सूरतगढ कार्यालय में पता करने भेजा गया तो वहा कार्यरत श्री सुधीर सीसी बाबू मिला, जिसने खर्चे पाणी की मांग की तथा नही देने पर एस.सी.ओ. (सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) जारी नही करने की धमकी दे रहा है। उसे हमारे जायज काम के बदले हम रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहते है। श्री सुधीर सीसी बाबू ने हमारी फर्म में कार्य करने वाले श्री रवि गोस्वामी से रिश्वत की मांग की है तथा उसी से वह बात करता है। इसलिये अग्रिम समस्त कार्यवाही श्री रवि गोस्वामी द्वारा करवायी जायेगी, श्री रवि गोस्वामी मेरे साथ उपस्थित आया है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी सुशील बंसल पुत्र श्री शंकर बंसल म.न. 24-मॉडल कॉलोनी श्रीगंगानगर मो.नं. दिनांक 03.09.26 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है दिनांक 03.09.2026 वक्त 01.00 पीएम पर परिवादी श्री सुशील बंसल पुत्र श्री शंकर बंसल जाति अग्रवाल उम्र 47 साल निवासी म.न. 24-मॉडल कॉलोनी श्रीगंगानगर ने स्वयं चैकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम पर उपस्थित होकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को एक कम्प्यूटर टाईप शुदा रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थना में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वय के कम्यूटर से टाईप करना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरी फर्म अंकुर एन्टरप्राईजेज, 25 न्यू मार्केट, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर है, जो सॉलर का कार्य करती है। जिसका मै प्रोपराईटर हॅू। हमारी फर्म द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओ के सॉलर सिस्टम लगवाया जाता है, इस हेतु हमारी फर्म द्वारा उपभोक्ता की पत्रावली तैयार करने से लेकर विद्युत विभाग से स्वीकृति एवं अन्य प्रक्रिया पूर्ण करवायी जाती है। इस कार्य हेतु हमारी फर्म पर श्री रवि गोस्वामी पुत्र श्री कालुराम जाति गोस्वामी उम्र 39 साल निवासी म.न. 192 ताराचन्द वाटिका के पास, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर हाल निवास चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर को नियुक्त किया हुआ है। श्री रवि गोस्वामी द्वारा मेरी फर्म की तरफ से सॉलर की तीन पत्रावलिया 1. अमित पारीक निवासी वार्ड न. 16 कुटिया के पास सूरतगढ 2. रिंकू अग्रवाल पत्नी संजय अग्रवाल निवासी हाउसिंग बोर्ड सूरतगढ 3. भारती निवासी बी-50 आशियाना कॉलोनी सूरतगढ तथा सॉलर मीटर सहित दिनांक 24.07.26 को कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम सूरतगढ में कार्यरत श्री सुधीर सीसी बाबू को सॉलर स्वीकृति एवं मीटर टेस्टींग के लिये जमा करवायी गई थी। इन पत्रावलियो में एस.सी.ओ.(सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) जारी नही होने पर रवि गोस्वामी को 5-7 दिन पहले सूरतगढ कार्यालय में पता करने भेजा गया तो वहां कार्यरत श्री सुधीर सीसी बाबू मिला, जिसने खर्चे पाणी की मांग की तथा नही देने पर एस.सी.ओ.(सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) जारी नही करने की धमकी दे रहा है। उसे हमारे जायज काम के बदले हम रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहते है। श्री सुधीर सीसी बाबू ने हमारी फर्म में कार्य करने वाले श्री रवि गोस्वामी से रिश्वत की मांग की है तथा उसी से वह बात करता है। इसलिये अग्रिम समस्त कार्यवाही श्री रवि गोस्वामी द्वारा करवायी जायेगी, श्री रवि गोस्वामी मेरे साथ उपस्थित आया है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी के साथ आये युवक से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रवि गोस्वामी पुत्र श्री कालुराम जाति गोस्वामी उम्र 39 साल निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला

श्रीगंगानगर होना बताया तथा श्री सुशील बंसल की फर्म अंकुर एन्टरप्राईजेज, 25 न्यू मार्केट, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर में उपभोक्ता की सॉलर से सम्बंधित पत्रावली तैयार करने से लेकर विद्युत विभाग से स्वीकृति एवं अन्य कार्य करना बताया तथा परिवादी श्री सुशील बंसल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सुधीर सीसी बाबू द्वारा रिश्वत मांगे जाने के वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र के सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही करवाने की अपनी लिखित सहमति दी। परिवादी सुशील बंसल द्वारा एईएन, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड सूरतगढ में सॉलर स्वीकृति हेतु आवेदित अमित पारीक, श्रीमती भारती रिंकू अग्रवाल से सम्बंधित एक-एक पृष्ठ का विवरण पत्र तथा रवि गोस्वामी को फर्म अंकुर एन्टरप्राईजेज, 25 न्यू मार्केट, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर में दिनांक 01.04.26 को नियुक्ति सम्बधी पत्र मय आधार कार्ड की फोटो प्रति तथा परिवादी सुशील बंसल द्वारा कार्यवाही हेतु सह परिवादी रवि गोस्वामी को दिये गये अधिकार पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की, उक्त दस्तावेज बाद अवलोकन शामिल कागजात किये गये। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी को आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो सह परिवादी ने बताया कि आरोपी अपने सूरतगढ स्थित कार्यालय में उपस्थित मिलेगा, जिससे आज ही रिश्वत मांग बाबत वार्ता कर सत्यापन करवा दूंगा। इस पर सह परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. 348 से आपसी परिचय करवाया गया। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु हिदायत कर सूरतगढ की ओर रवाना किया गया तथा परिवादी श्री सुशील बंसल को आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। वक्त 5.45 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवाना षुदा सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश किया। सह परिवादी रवि गोस्वामी ने बताया कि मै व श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. सूरतगढ पहूंचकर जोधपुर डिस्कॉम के एईएन ऑफिस के पास गोपनीय स्थान पर पहूंचे, जहां श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. ने मुझे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु करके सुपुर्द करते हुये आरोपी से वार्ता करने हेतु रवाना करने पर मै जोधपुर डिस्कॉम के एईएन ऑफिस में सुधीर सीसी बाबू से जाकर मिला तथा मैने हमारी फर्म की ओर से पेण्डिग तीनो सॉलर फाईलो की स्वीकृति के सम्बंध में बातचीत की तो उसके पास एक फाईल नही मिली, जिस पर उसने दो फाईलो के सम्बंध में बातचीत करते हुये दोनो के 3500-3500/रूपये कुल 7000/रूपये रिश्वत की मांग करते हुये इनकी रसीद आदि काटने की बात कहकर कुल 10,000/रूपये रिश्वत के लेना तय किया है। जिस पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो सह परिवादी के उक्त तथ्यों की ताईद हुई। सह परिवादी ने आज शाम का वक्त होने एवं उसे जरूरी कार्य होने के कारण फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के लिये आईंदा उपस्थित आने का निवेदन किया तथा सह परिवादी ने बताया कि मै आरोपी को रिश्वत राशि सोमवार को दूंगा। जिस पर सह सह परिवादी को आवश्यक हिदायत कर वक्त 7.00 पीएम पर रूख्सत किया गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन अति.पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 06.09.26 वक्त 5.00 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को दो स्वतन्त्र गवाह पाबंद कर दिनांक 07.09.26 को सुबह 9 एएम पर इस कार्यालय में भिजवाने हेतु अवकाश का दिन होने के कारण जरिये दूरभाष निवेदन किया गया तथा सह परिवादी को भी कल सुबह 9.00 एएम पर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर हाजिर होने हेतु जरिये दूरभाष पाबंद किया गया। दिनांक 07.09.2026 वक्त 09.00 एएम पर सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी उपस्थित आया एवं बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/रूपये साथ लेकर आया हॅं। तत्पश्चात तलबिदा गवाहान श्री राकेश मौर्य वरिष्ठ सहायक, सीएचसी केसरीसिंहपुर एवं श्री राहूल कुक्कड़ कनिष्ठ सहायक, जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, श्रीगंगानगर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी का दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राकेश मौर्य वरिष्ठ सहायक एवं श्री राहूल अरोड़ा कनिष्ठ सहायक से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन बाबत बताया गया। दिनांक 03.09.26 को सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी ने आरोपी सुधीर सीसी बाबू से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था जो मन अति. पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित है। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व सह परिवादी के कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर सुनाना शुरू किया। वक्त 11.00 एएम तक रिश्वत मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व सह परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर से सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी सुधीर सीसी बाबू की होना बताया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर के जरिये श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दूसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क 'V' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर

करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री रवि गोस्वामी ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली 500-500/रू के 20 नोट कुल 10,000/-रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है- 1.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2BL419705 , 2. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1SN 512427, 3. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1SN 512428, 4. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1SN 512429, 5. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1SN 512430, 6. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2BE 263515, 7. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0NA 099510, 8. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3MR 890109, 9. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7BV 482669, 10. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0TA 704893, 11. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0HR 879056, 12. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0EU 767461, 13. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2FM 749369, 14. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7RH 196136, 15. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9NQ 397994, 16. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4SU 223770, 17. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0AC 091090, 18.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8HF 599329, 19. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4HL168434, 20. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0SN 593253 उक्त प्रस्तुत नोटो को मन अति.पुलिस अधीक्षक ने सह परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्रीमती सुमन म.कानि. से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त सभी नोटो पर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री राकेश मौर्य से सह सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 10,000/- रूपये के नोटो को श्रीमती सुमन म.कानि. के जरिये सह सह परिवादी के पहनी शर्ट की उपरी बांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन अति.पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। सह परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्रीमती सुमन म.कानि. के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया, डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्रीमती सुमन म.कानि. के हाथ को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे सह सह परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजिटल वाइॅस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर सह सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब की गई। वक्त 11.30 एएम पर मन अति.पुलिस अधीक्षक ने सह परिवादी श्री रवि गोस्वमी के साथ श्री जगदीश राय मु.आ., श्री संजीव कुमार कानि., श्री भवानी सिंह कानि., श्री आशीष कुमार कानि. को सह परिवादी की निजी कार से रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अति.पुलिस अधीक्षक ने स्वतन्त्र गवाह श्री राहूल अरोड़ा क.स. एवं श्री राकेश मौर्य व.स. एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री नरेश कुमार मु.आ., श्री राजेश कुमार मु.आ., श्री सुरेन्द्र कुमार कानि., श्री भंवरराम कानि. मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर प्राईवेट वाहन से गोपनीय कार्यवाही हेतु बजानिब सूरतगढ की ओर रवाना होकर बड़ोपल रोड़ सूरतगढ स्थित जी.एस. एस. के नजदीक पहूंच वाहनो को गोपनीय स्थान पर रूकवाकर सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी को आरोपी से सम्पर्क करने कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम सूरतगढ की ओर रवाना किया जाकर मन अति. पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ट्रेप जाल बिछाया गया। ट्रेप के ईशारा का इंतजार है। वक्त 01.30 पीएम सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी ने बड़ोपल रोड सूरतगढ स्थित् जीएसएस परिसर में स्थित कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण) जोधपुर डिस्कॉम सूरतगढ के अन्दर से मन अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिसड् कॉल का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के अविलम्ब कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण) जोधपुर डिस्कॉम सूरतगढ में प्रवेश करके बांयी साईड में कमरा न. 06 पहूंचा तो सह परिवादी अंदर कमरे में खड़ा मिला, जिसने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर एक अधेड़ उम्र के चश्मा लगे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही सुधीर सी.सी. बाबू है, जिसने मेरे से अभी-अभी 10,000/रूपये रिश्वत के लेकर अपने मेज के बांयी साईड में बनी दराज में रख लिये है। जिस पर उस व्यक्ति को ब्यूरो स्टाफ से काबू करवाया गया, तो वह घबरा गया, जिसे तसल्ली दी गई। उस व्यक्ति को मन अति.पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुधीर कुमार चलाना पुत्र श्री अमरनाथ चलाना जाति अरोड़ा उम्र 57 साल निवासी म.न. ई-4-बसंत विहार कॉलोनी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर हाल सहायक

प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम (वितरण), सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर सुधीर कुमार चलाना से सह परिवादी रवि गोस्वामी से ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो उसने पहले कहा कि मै इसको जानता हॅू, यह सॉलर वेंडर है, इनसे मैने दो फाईलो के 2400/रूपये तथा तीसरी फाईल के लॉड बढवाने के लिये कुल 10,000/रूपये लिये है, जब इनसे पूछा गया कि तीसरी पत्रावली कौनसी है तो कहा कि वह मिली नही थी, उसके है, मेरे द्वारा रिश्वत राशि नही ली जाकर फाईलो के जमा किये जाने वाले रूपये लिये है। जब आरोपी से पूछा गया कि आप राशि जमा करते हो तो आरोपी ने बताया कि नही यह कैशियर के पास जमा होते है, जानकार होने के कारण इसने मुझे दिये है। जब आरोपी से पूछा गया कि आप द्वारा लॉड बढाने का डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया है क्या, तो आरोपी ने बताया कि नही अभी जारी नही किया गया। आरोपी से पूछे जाने पर रिश्वत राशि अपने मेज की दाहिनी साईड में बनी बीच वाली दराज में रखी होना बताया। तब मौका पर स्वतः रूबरू गवाहान सह परिवादी रवि गोस्वामी ने बताया कि हमारी फर्म अंकुर एन्टरप्राईजेज के द्वारा सॉलर हेतु तीन पत्रावलिया 1. अमित पारीक निवासी वार्ड न. 16 कुटिया के पास सूरतगढ 2. रिंकू अग्रवाल पत्नी संजय अग्रवाल निवासी हाउसिंग बोर्ड सूरतगढ 3. भारती निवासी बी-50 आशियाना कॉलोनी सूरतगढ तथा सॉलर मीटर सहित दिनांक 24.07.26 को कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम सूरतगढ में कार्यरत श्री सुधीर सीसी बाबू को सॉलर स्वीकृति एवं मीटर टेस्टींग के लिये जमा करवायी गई थी। इन पत्रावलियो में एस.सी.ओ. (सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग करने पर दिनांक 03.09.26 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने पर सुधीर सीसी बाबू के पास अमित पारीक वाली एक फाईल नही मिली, जिस पर उसने दो फाईलो के सम्बंध में बातचीत करते हुये मेरे से दोनो के 3500-3500/रूपये कुल 7000/रूपये रिश्वत की मांग करते हुये इनकी रसीद आदि काटने की बात कहकर कुल 10,000/रूपये रिश्वत के लेना तय किया था, आज वही 10,000/रूपये मेरे से श्री सुधीर सी.सी. बाबू ने रिश्वत के लिये है। फिर गवाह श्री राहूल अरोड़ा ने निर्देशानुसार आरोपी सुधीर कुमार की मेज की दाहिनी साईड के बीच वाली दराज को चैक करवाया गया तो उसमें 500-500/रूपये के नोट मिले, जिन्हे गवाह ने निकाले, जिन्हे दोनो गवाहान ने फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करने पर 500-500/रूपये के 20 नोट कुल 10,000/रूपये हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। जो गवाह श्री राहूत अरोड़ा के पास ही सुरक्षित रहने दिये गये। इसके अलावा आरोपी के दराज में से 500-500/रूपये चार नोट कुल 2000/रूपये भी बरामद हुये है, जिसके सम्बंध में आरोपी द्वारा संतोषजनक जबाव नही देने से जब्त किये गये। उक्त घटनाक्रम से सह परिवादी व आरोपी सुधीर कुमार चलाना के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से प्राईवेट गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो नये पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी सुधीर कुमार चलाना के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'L-1, L-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी सुधीर कुमार चलाना के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'R-1, R-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी के मेज की दाहिनी साईड के बीच वाली दराज में सफेद कागज के उपर से रिश्वत राशि बरामद हुई है, कागज की धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने से धुलवाई के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर तैयार घोल में कपड़े की चिंदी की सहायता से कागज पर रिश्वत राशि रखने वाले स्थान को पोंछ-पोंछ कर धोवन में डूबोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'K-1, K-2' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात कपड़े की चिंदी एवं सफेद कागज को सुखाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। तत्पश्चात निर्देशानुसार गवाह श्री राहूल अरोड़ा ने सुरक्षित रखी बरामदशुदा रिश्वत राशि 10,000/रूपये के नोट पेश किये, जिनके नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त रिश्वत बरामदगी एवं हाथ धुलाई आदि कार्यवाही की मन अति.पुलिस अधीक्षक ने सरकारी मोबाईल से विडियो रिकॉर्डिग की गई, तत्पश्चात आरोपी सुधीर कुमार चलाना से सह परिवादी रवि गोस्वामी की फर्म अंकुर एन्टरप्राईजेज से सम्बंधित पत्रावलियों के बारे में पूछा तो उन्होने अपने मेज पर रखी दो पत्रावलियां प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन किया गया तो एक पत्रावली जिस पर खाता सं. 1711/0004 के.नं. 310352008367 रिंकू अग्रवाल निवासी सूरतगढ सॉलर 3710 किलोवॉट लिखा है, जिसके प्रथम पृष्ठ पीएम सूर्य घर योजना के तहत डी.सी.आर. सर्टिफिकेट है। इसी प्रकार दूसरी पत्रावली जिस पर खाता सं. 1738/0218 के.नं. 310352055035 भारती पत्नी सतीश कुमार बदरा निवासी सूरतगढ सॉलर 7310 किलोवॉट लिखा है, जिसके प्रथम पृष्ठ पीएम सूर्य घर योजना के तहत डीसीआर

सर्टिफिकेट है। उक्त पत्रावलियों के सम्बंध में आरोपी सुधीर कुमार ने पूछने पर बताया कि इनका एस.सी.ओ. अभी जारी नही हुआ। अमित पारीक निवासी सूतरगढ की तीसरी पत्रावली के बारे में आरोपी से पूछा गया तो बताया कि वो ढूढने से अभी मिली नही है। उक्त दोनो पत्रावलियां प्रकरण के अनुसंधान में वांछित होने से अलग से जरिये फर्द जब्त की गई। वक्त 3.15 पीएम पर परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान, सह परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप से श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपड़े की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफैद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क 'T' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। वक्त 4.00 पीएम पर आरोपी सुधीर कुमार चलाना सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम (वितरण), सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को गिरफ्तार करने से सम्बंधित फर्द कारण गिरफ्तारी मुर्तिब की गई तथा आरोपी को नोटिस धारा 47(1) बीएनएसएस गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाने बाबत लिखित में दिया गया। तत्पश्चात आरोपी सुधीर कुमार चलाना सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम (वितरण), सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को उसके जुर्मो से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्र.नि. अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार मौका पर उपस्थित आये उसके मौसी के बेटे भाई श्री अमित मुजाल को दी जाकर फर्द सूचना गिरफ्तारी मुर्तिब की गई। फिर अनवान सदर में ट्रेप कार्रवाई के दौरान मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का सेमसंग गैलेक्सी एक्स-कवर-7 मॉडल एसएम-जी-556 बी मोबाईल से हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी मोबाईल की Internal Memory में की गई, मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. से उक्त विडियोग्राफी को दो अलग-अलग पैन ड्राईव में कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर मार्क टी-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया दुसरे पैन ड्राईव पर मार्क टी-2 अंकित को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। वक्त 4.50 पीएम पर घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। फिर ट्रेप कार्यवाही में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 60 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। वक्त 6.45 पीएम पर मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर मन अति.पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के गिरफ्तारशुदा आरोपी सुधीर कुमार चलाना एवं जब्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि के सहपरिवादी की निजी कार एवं प्राईवेट वाहन से सूरतगढ से रवाना होकर राजकीय जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर पहूंच आरोपी सुधीर कुमार चलाना का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात रवाना होकर आरोपी को रात्रि सुरक्षा हेतु पुलिस थाना कोतवाली की हवालात जमा करवाते हुये ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 10,000/रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा कागज व चिंदी, शील्डशुदा मैमोरी कार्ड, शील्डशुदा पैन ड्राईव आदि श्री राजेश कुमार मु.आ. के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान व सह परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री सुशील बंसल पुत्र श्री शंकर बंसल जाति अग्रवाल उम्र 47 साल निवासी म.न. 24-मॉडल कॉलोनी श्रीगंगानगर की फर्म अंकुर एन्टरप्राईजेज , 25 न्यू मार्केट, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओ के सॉलर सिस्टम लगवाया जाता है, इस हेतु फर्म द्वारा उपभोक्ता की पत्रावली तैयार करने से लेकर विद्युत विभाग से स्वीकृति एवं अन्य प्रक्रिया पूर्ण करवायी जाती है। इस कार्य हेतु फर्म पर श्री रवि गोस्वामी पुत्र श्री कालुराम जाति गोस्वामी उम्र 39 साल निवासी म.न. 192 ताराचन्द वाटिका के पास, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर हाल निवास चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर को नियुक्त किया हुआ है। श्री रवि गोस्वामी द्वारा फर्म की तरफ से सॉलर की तीन पत्रावलिया 1. अमित पारीक निवासी वार्ड न. 16 कुटिया के पास सूरतगढ 2. रिंकू अग्रवाल पत्नी संजय अग्रवाल निवासी हाउसिंग बोर्ड सूरतगढ 3. भारती निवासी बी-50 आशियाना कॉलोनी सूरतगढ तथा सॉलर मीटर सहित दिनांक 24.07.26 को कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम सूरतगढ में कार्यरत श्री सुधीर सीसी बाबू को सॉलर स्वीकृति एवं मीटर टेस्टींग के लिये जमा करवायी गई थी। इन पत्रावलियो में एस.सी.ओ. (सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) जारी नही होने पर रवि गोस्वामी को 5-7 दिन पहले सूरतगढ कार्यालय में पता करने भेजा गया तो वहां कार्यरत श्री सुधीर सी.सी. बाबू मिला, जिसने खर्चे पाणी की मांग की तथा नही देने पर एस.सी.ओ.(सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) जारी नही करने की धमकी दे रहा है। जिस पर परिवादी ने दिनांक 03.09.26 को ब्यूरो कार्यालय पर दिये गये प्रार्थना पत्र पर सह परिवादी रवि गोस्वामी ने दिनांक 03.09.26 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी सुधीर कुमार सी.सी. बाबू द्वारा फर्म की ओर से पेण्डिग तीनो सॉलर फाईलो में एक फाईल नही मिलने, पर उसने दो फाईलो के सम्बंध में बातचीत करते हुये दोनो के 3500-3500/रूपये कुल 7000/रूपये रिश्वत की मांग करते हुये इनकी रसीद आदि

काटने की बात कहकर कुल 10,000/रूपये रिश्वत के लेना तय करना। उक्त रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 07.09.26 को सह परिवादी रवि गोस्वामी से आरोपी सुधीर कुमार चलाना सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा 10,000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने मेज की दाहिनी साईड के बीच वाली दराज में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना आरोपी के दोनो हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थान सफेद कागज की धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग क्रमशः मटमैला व हल्का गुलाबी प्राप्त होना, वक्त ट्रेप सहपरिवादी की फर्म से सम्बंधित दोनो पत्रावलियां का कार्य आरोपी के पास पेण्डिग होना, वक्त सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग करने तथा वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी सुधीर कुमार चलाना सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम (वितरण), सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा उक्त पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर सह परिवादी श्री रवि गोस्वामी से 10,000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का घटित होना पाये जाने पर आरोपी सुधीर कुमार चलाना पुत्र श्री अमरनाथ चलाना जाति अरोड़ा उम्र 57 साल निवासी म.न. ई-4-बसंत विहार कॉलोनी, सूरतगढ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम (वितरण), सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (पवन कुमार मीणा) अति.पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पवन कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुधीर कुमार चलाना पुत्र श्री अमरनाथ चलाना जाति अरोड़ा उम्र 57 साल निवासी म.न. ई-4-बसंत विहार कॉलोनी, सूरतगढ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम (वितरण), सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मनोज कुमार मूण्ड, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 146 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1493-96 दिनांक 10.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANOJ KUMAR MOOND **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/09/2026 18:16:39

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)